संख्या- 337 /2025/189/नौ-9-2026-001-ई-1513206

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2025**

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन शहर हेतु स्मार्ट रोड परियोजना की चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-128/2021/2467/नौ-9-2021-107ज/21, दिनांक 31.12.2021 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में छठीकरा मार्ग के मल्टीलेवल पार्किंग से बेलगम गेट (रमणरेती पुलिस चौकी) तक स्मार्ट रोड परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 3035.19 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 303.519 लाख कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 15.11.2022 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 758.7975 लाख तथा शासनादेश दिनांक 28.02.2025 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1062.3165 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-4237/106(6)/SSCM/2020-21, दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख उपलब्ध कराते हुए चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मथुरा-वृन्दावन शहर के स्मार्ट रोड परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 3035.19 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष 05 प्रतिशत की धनराशि रोकते हुए **चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 758.80 लाख (रूपये सात करोड़ अट्ठावन लाख अस्सी हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, मथुरा-वृन्दावन को अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग **दिनांक 31 मार्च 2026** तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) शासनादेश संख्या-128/2021/2467/नौ-9-2021-107ज/21, दिनांक 31.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-58/2025/307/नौ-9-2025-001-ई-1513206, दिनांक 28.02.2025 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 758.80 लाख (रूपये सात करोड़ अट्ठावन लाख अस्सी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 11-02-2026
19:00:17
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या- 337 /2025/189/नौ-9-2026-001-ई-1513206, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त, आगरा।
5. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
10. नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन।
11. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, उ0प्र0।
12. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।